कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

क्र०सं०	योजना / कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना / कार्यक्रम सेवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जात हो	उत्तरदायी लोक सेवक का नाम
1	2	3	4	5
1.	आओ खेलो एवं विभाग द्वारा अन्य खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन	इस योजना के तहत राज्य के आउटडोर स्टेडियम में सभी जिला मुख्यालयों में स्थानीय महिला एवं पुरूष खिलाड़ियों के लिए ''आओ खेलो–सह–गैर आवासीय प्रशिक्षण'' योजना का संचालन बड़े पैमाने पर करने का लक्ष्य है। वर्तमान में कुल 50 केन्द्र राज्य के सभी जिलों में खोला जा रहा है जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मासिक 500/– छात्रवृति दिया जाता है। खिलाड़ियों का न्यूनतम उम्र 08–15 वर्ष एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि सुबह, शाम एवं खेल विद्या के अनुसार खिलाड़ियो की संख्या तय की जाती है। इसका संचालन जिला खेल पदाधिकारी/बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है।	सभी जिला मुख्यालयों में स्थानीय महिला/पुरूष	जिला खेल पदाधिकारी/बिहार राज्य खेल प्राधिकरण
2.	खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम	इस योजना के तहत मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत एकलव्य राज्य अवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से विद्यालय में अध्ययनरत प्रतिभाओं (बालक/बालिकाओं) का चयन कर उन्हें वैज्ञानिक, योजनाबद्ध प्रशिक्षण, पौष्टिक आहार एवं आधुनिक खेल उपकरणों की सुविधा प्रदान कर उनकी प्रतिभा को निखारने का कार्य किया जाता है। वर्तमान में राज्य के	विद्यालय में अध्ययनरत प्रतिभाओं (बालक/बालिकाओं) जिनकी उम्र 17 वर्ष से कम हो	जिला खेल पदाधिकारी/बिहार राज्य खेल प्राधिकरण

		28 जिलों में 49 प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत है। 12–14 वर्ष के खिलाड़ियों का नामांकन किया जायेगा। केन्द्र की स्वीकृति विभागीय माननीय मंत्री के द्वारा किया जाता है।		
3.	राज्य/राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन/सहभागिता हेतु खेल संघों को अनुदान	इस योजना के तहत अधिकारिक राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन/सहभागिता हेतु बिहार राज्य खेल विधेयक 2013 के अन्तर्गत निबंधित राज्य खेल संघों को अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है। खेल संघों का चयन गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर विभागीय मंत्री/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा अनुमोदन किया जाता है।	चयनित खेल संघों को	निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण/संयुक्त सचिव/उपसचिव
4.	खिलाड़ी कल्याण कोष	इस योजना के तहत राज्य के युवा एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि के आधार पर खिलाड़ी कल्याण कोष योजना के तहत खेल किट्स, चिकित्सा एवं एन.आई.एस. कोर्स के लिए सहायक अनुदान प्रदान की जाती है। चयनित प्रतिभावन खिलाड़ियों को समिति द्वारा अनुशंसा के आधार पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है।	राष्ट्रीय स्तर खेलने वाले प्रतिभावन खिलाड़ियों (बालक/बालिकाओं)	निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण
5.	खेल सम्मान कार्यक्रम/पुरस्कार	इस योजना के तहत अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारिक खेल प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व अथवा पदक प्राप्त करने वाले एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले सामान्य एवं दिव्यांग खिलाड़ियों को	अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारिक खेल प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व अथवा पदक प्राप्त करने वाले एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में	निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण

		प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित खेल सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाता है। वित्तिय वर्ष 2023–24 में कुल 4,25,33,100/– रूपये मात्र की स्वीकृति 411 खिलाड़ियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने हेतु दी गयी है।खेल सम्मान समारोह हेतु स्वीकृति राशि का अनुमोदन विभागीय माननीय मंत्री के द्वारा दी जाती है।	पदक प्राप्त करने वाले सामान्य एवं दिव्यांग खिलाड़ियों	
6.	खेल एवं जिम उपकरण	इस योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत मल्टी जिम, ओपेन जिम उपकरण एवं खेल उपकरणों का अधिष्ठापन अबतक कुल 37 जिलों में किया जा चुका है। संबंधित जिला पदाधिकारी के प्रस्ताव के उपरांत विभागीय मंत्री जी/प्रधान के द्वारा अनुमोदन किया जाता है।	जिला पदाधिकारी के प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत मुख्यालयों में अवस्थित खेल भवन–सह–व्यायामशाला को	निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण
7.	पूर्व निर्मित स्टेडियम एवं अन्य संबंधित भवन का जीर्णोद्धार एवं विकास	इस योजना के तहत पूर्व से निर्मित स्टेडियम का मरम्मती एवं विकास का कार्य किया जाता है। संबंधित जिला पदाधिकारी के प्रस्ताव के उपरांत विभागीय प्रधान के द्वारा अनुमोदन किया जाता है।	प्राक्कलन के अनुसार भवन निर्माण विभाग/भवन निर्माण निगम लिमिटेड/आउटसोर्सिंग	निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण
8.	मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत स्टेडियम का निर्माण/राजगीर में अन्तराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्टस एकेडेमी का निर्माण	1. इस योजना के तहत राज्य में खेल का वातावरण तैयार करने हेतु खेल अवसंरचना विकसित करने के क्रम में विभिन्न जिलों के अधीन प्रखण्ड स्तर पर स्टेडियम निर्माण हेतु वर्ष 2008–09 से अब तक कुल 370 स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 222 स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। स्टेडियम का	प्राक्कलन के अनुसार भवन निर्माण विभाग/भवन निर्माण निगम लिमिटेड	निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण

		निर्माण हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी का प्रस्ताव आवश्यक है। 2. नालन्दा जिले अन्तर्गत राजगीर में राज्य स्पोर्ट्स एकेडमी–सह–अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हेतु 90 एकड़ भूमि जिसका अधिग्रहित किया गया है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृत राशि 633.00/– करोड़ रूपये की लागत है। जिसका लगभग 51.40 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। एकेडमी का आउटडोर, इण्डोर हॉल, आवासन, निदेशक, उपनिदेशक एवं प्रशासनिक भवन का कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण किया जा चुका है। कार्य पूर्ण की संभावित तिथि जून 2024 है। 3. माईनुलहक स्टेडियम पटना को विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित किये जाने हेतु नगर विकास विभाग को दिया गया है। जनप्रतिनिधि एवं जिला पदाधिकारी द्वारा मानके के रूप में प्राप्त प्रस्ताव पर मानक के अनुरूप Out door Stadium की स्वीकृति विभागीय मंत्री को अनुमोदन की प्रक्रिया की जाती है।		
9.	खेल भवन–सह–व्यायामशालाओं का निर्माण	इस योजना के तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक खेल भवन–सह–व्यायामशाला का निर्माण होना है जिसमें प्रतिस्पर्द्धात्मक इण्डोर खेलों में प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने एव शारीरिक सौरष्ठता के लिए अत्याधुनिक मल्टी जिम उपकरण एवं	प्राक्कलन के अनुसार भवन निर्माण विभाग/भवन निर्माण निगम लिमिटेड	निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण

		इण्डोर खलों के आधुनिक खेल उपकरण यथा कुश्ती मैट/ताईक्वाण्डो मैट आदि उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण देने की योजना है। खेल भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 29 जिलों में व्यायामशाला–सह–खेल भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रति जिला 1031.42/– लाख रूपये की लागत पर दी जा चुकी है। खेल भवन–सह–व्यायामशालाओं का निर्माण हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी का प्रस्ताव मानक के अनुरूप प्राप्त होने के उपरांत विभागीय माननीय मंत्री के द्वारा अनुमोदन दी जाती है। जिला पदाधिकारी का प्रस्ताव मानक के अनुरूप प्राप्त होने के उपरांत विभागीय माननीय मंत्री के द्वारा अनुमोदन दी जाती है।)		
10.	कलाकार कल्याण कोष	इस योजना के अन्तर्गत वर्ष पर्यन्त कलाकारों को बीमारी से ग्रसित, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित तथा देष के महत्वपूर्ण संस्थानों मे उच्च अध्ययन/शोध कार्य अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनियों आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। गठित समिति के अनुशंसा के उपरांत विभागीय मंत्री एवं विभागीय प्रधान के द्वारा अनुमोदन किया जाता है।	सास्कृतिक कार्यक्रम में निपुण कलाकारों को समिति द्वारा चयनित किये गये हो।	निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय
11.	सांस्कृतिक संस्थानों/बिहार राज्य फिल्म विकास एवं	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा इस योजना अंतर्गत कार्यरत	चयनित सांस्कृति संस्थानों/बिहार राज्य	निदेशक, सांस्कृति कार्य निदेशालय

	वित्त निगम को अनुदान/ऋण	बिहार संगीत नाटक अकादमी/बिहार ललित कला अकादमी/भारतीय नृत्य कला मंदिर को राज्य में सांस्कृतिक वातावरण निर्माण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेतु योजना मद से वित्तीय सहायता/अनुदान उपलब्ध करायी जाती हैं। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, पटना पर राज्य में फिल्म का विकास एवं इससे जुड़ी गतिविधियों के संरक्षण, उन्नयन एवं संवर्द्धन का दायित्व है। राज्य में फिल्म के विकास, सरंक्षण एवं प्रोत्साहन तथा फिल्म महोत्सव आदि के लिए राशि उपलब्ध करायाी जाती है।बजट के प्रावधानुसार विभागीय मंत्री एवं प्रधान के अनुमोदन उपरांत अनुदान/ऋण उपलब्ध करायी जाती है एवं सांस्कृतिक संस्थानों/बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण विभाग को उपलब्ध कराया जाता है।	फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	
12.	सांस्कृतिक संरचना/संबंधित भवनों का निर्माण/विकास/जीर्णोद्धार	इस योजना के तहत प्रमंडलीय जिला मुख्यालयों में प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी का निर्माण कराया जाता है। इस योजना के तहत 600 क्षमता का आधुनिक प्रेक्षागृह एवं चाक्षुष कला की प्रदर्शनी हेतु आर्ट गैलरी का निर्माण (पटना एवं मुजफ्फपुर को छोड़कर) कराया जा रहा है। भूमि की उपलब्धता के आधार पर निम्नवत स्वीकृति प्रदान की जाती है।भागलपुर में चिन्हित भूमि के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की	प्राक्कलन के अनुसार भवन निर्माण विभाग/भवन निर्माण निगम लिमिटेड	निदेशक, सांस्कृति कार्य निदेशालय

		जा रही है। माहात्मा गॉधी के चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर 2,000 क्षमता का प्रेक्षागृह निर्माणः– राज्य की लोक कला जैसे मधुबनी पेंटिंग के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास हेतु मिथिला चित्रकला संस्थान–मिथिला ललित कला संग्रहालय, मधुबनी के निर्माण हेतु 4075.195 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है। संबंधित जिला पदाधिकारी के प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद भवन निर्माण निगम लिमिटेड/भवन निर्माण विभाग से प्राक्कलन प्राप्त कर विभागीय मंत्री एवं प्रधान के द्वारा अनुमोदित किया जाता है।		
13.	गैर सरकारी संस्थानों/संग्रहालयों के विकास हेतु अनुदान	गॉधी संग्रहालय, गॉधी मैदान, पटना, पुस्तकालय, चरखा समिति, गोपाल नारायण स्मृति, संग्रहालय, भरतपुरा, पाली, पटना, राजेन्द्र स्मृति संग्रहालय, सदाकत आश्रम पटना, श्री सारदा सदन लाइब्रेरी (पुस्तकालय), संचालन, प्रबंधन एवं रख–रखाव के लिए उपयोगिता के आधार पर राशि (प्रत्येक वित्तीय वर्ष में) उपलब्ध कराई जाती है। चयनित संग्रहालय को विकास हेतु बजट के अनुसार विभागीय मंत्री/विभागी प्रधान के द्वारा अनुमोदन के उपरांत संग्रहालय को राशि उपलब्ध करायी जाती है।	चयनित संग्रहालय को	संग्रहाल्याध्यक्ष
14.	संग्रहालय के पुरावषेषों/कलाकृतियों का डिजिटल डाक्युमेंटेंशन,	सभी राजकीय संग्रहालय के पुरावषेषों/कलाकृतियों का डिजिटल डाक्युमेंटेंशन, संग्रहालय की दीर्घा एवं	चयनित संग्रहालय को	संग्रहाल्याध्यक्ष

	संग्रहालय की दीर्घा एवं रख–रखाव, प्रकाश व्यवस्था उपस्कर/उपकरण/अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था	रख–रखाव, प्रकाश व्यवस्था उपस्कर/उपकरण/ अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था के लिए राशि (प्रत्येक वित्तीय वर्ष में) उपलब्ध कराई जाती है। चयनित संग्रहालय को रख–रखाव, प्रकाश व्यवस्था उपस्कर/उपकरण/अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था कराने हेतु बजट के अनुसार विभागीय मंत्री/विभागी प्रधान के द्वारा अनुमोदन के उपरांत संग्रहालय को राशि उपलब्ध करायी जाती है।		
15.	संविदा के आधार पर संग्रहालय की सुरक्षा/बागवानी/सफाई व्यवस्था एवं परामर्शी की व्यवस्था	सभी राजकीय संग्रहालय में संविदा के आधार पर सुरक्षा/बागवानी/सफाई व्यवस्था एवं परामर्शी की व्यवस्था के लिए राषि (प्रत्येक वित्तीय वर्ष में) उपलब्ध कराई जाती है। चयनित संग्रहालय को सुरक्षा/बागवानी/सफाई व्यवस्था एवं परामर्शी की व्यवस्था कराने हेतु बजट के अनुसार विभागीय मंत्री/विभागी प्रधान के द्वारा अनुमोदन के उपरांत संग्रहालय को राशि उपलब्ध करायी जाती है।	चयनित संग्रहालय को	संग्रहाल्याध्यक्ष
16.	पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण अनुरक्षण एवं सौंदर्यीकरण	इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 54 पुरातात्विक स्थल/स्मारक सुरक्षित घोषित किए गए है। हाल के वर्षों में सुरक्षित किए गये पुरास्थलों में नोनगढ़ (लखीसराय), भदरिया में चांदन नदी के किनारे प्राप्त हुए पुरातात्विक स्थल/अवशेष(बॉका), गुआरी डीह वरियारपुर (गुआरी, भागलपुर) प्रमुख	प्राक्कलन के अनुसार भवन निर्माण विभाग/भवन निर्माण निगम लिमिटेड	निदेशक, पुरातत्व निदेशालय

		रूप से उल्लेखनीय है। चयनित पुरास्थलों का संरक्षण कराने हेतु भवन निर्माण विभाग/भवन निर्माण निगम लिमिटेड से प्राक्कलन की मांग की जाती है प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत विभागीय मंत्री/विभागीय प्रधान के द्वारा स्वीकृति उपरांत अनुमोदन दिया जाता है।		
17.	पुरातात्विक भवन, चाहरदीवारी निर्माण एवं अन्य संबंधित संरचना	इस योजना के तहत पुरातत्व भवन का निर्माण निदेशालय की एक नई महत्वकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य धरोहर के संरक्षण में संलग्न सभी कार्यों को एक छत के नीचे गतिशील रखना है, जिससे संबंधित विविध कार्यों का सम्पादन सहज और सुचारू रूप से हो सके। उपरोक्त भवन निर्माण के अतिरिक्त कुछ पुरातात्विक स्थलों को चिन्हित कर घेराबन्दी के कार्य करवाए जा रहे हैं, जिनमें कोटेश्वर धाम (गया), चौसागढ़ (बक्सर), अहिल्या स्थान (दरभंगा), नेपाली मंदिर (हाजीपर), लय (लखीसराय), हरेश्वर नाथ मंदिर (द्वालख मधुबनी), कमलदह जैन मंदिर (पटना सिटी), ताराडीह (बोधगया) के नाम उल्लेखनीय हैं। स्थल को चयन कर पुरात्विक भवन निर्माण कराने हेतु भवन निर्माण विभाग/भवन निर्माण निगम लिमिटेड से प्राक्कलन की मांग की जाती है प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत विभागीय मंत्री/विभागीय प्रधान के द्वारा स्वीकृति उपरांत अनुमोदन दिया जाता है।	प्राक्कलन के अनुसार भवन निर्माण विभाग/भवन निर्माण निगम लिमिटेड	निदेशक, पुरातत्व निदेशालय

18.	संविदा के आधार पर पुरातात्विक स्थलों/स्मारकों की सुरक्षा एवं रख–रखाव की व्यवस्था	इस योजना के तहत सुरक्षित स्मारकों की सुरक्षा एवं रख–रखाव के लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी द्वारा गृह रक्षकों को प्रतिनियुक्त/तैनात किया जाता है। आउटसोर्सिंग एवं बिहार गृह रक्षा वाहिनी द्वारा रक्षको प्रतिनियुक्ति विभागीय मंत्री/प्रधान के द्वारा अनुशंसा के आधार पर किया जाता है।	गृह रक्षा वाहिनी/आउटसोर्सिंग	निदेशक, पुरातत्व निदेशालय